उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

16 अगस्त, 2023 ई0

सं० F-9(32) (ii)/RG/UERC/2023/537: विद्युत् अधिनियम 2023 की धारा 181 के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों व इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व पूर्व प्रकाशन के उपरांत उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 (मूल विनियम), तथा इसमें किये गए पश्चातवर्ती संशोधन में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 होगा.

(2) ये विनियम 1 सितम्बर, 2023 से प्रवृत्त होंगे.

(3) ये विनियम उत्तराखंड राज्य में लागू होंगे.

(यह विनियम दिनांक 26.08.2023 के अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

2. मूल विनियम के विनियम 83 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 83 को निम्नानुसार प्रस्थापित किया जायेगा:

"ईंधन और ऊर्जा क्रय समायोजन (एफ़पीपीसीए):

(1) एफ़पीपीसीए प्रभार उपभोक्ता को कोई छूट दिए बिना वितरण अनुज्ञापी के सम्पूर्ण विक्रय पर लागू होंगे.

(2) एफ़पीपीसीए प्रभारों को, इन विनियमों के अनुसार, स्वयं के उत्पादक स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा से सम्बंधित वितरण अनुज्ञापी की परिधि पर डिलीवरी हेतु ईंधन और ऊर्जा क्रय लागतों में और ऐसी लागतें उपगत होने के पश्चात किसी माह के दौरान अधिप्राप्त ऊर्जा में वास्तविक परिवर्तन के आधार पर, संगणित व प्रभारित किया जायेगा तथा ईंधन लागतों में अनुमानित या अपेक्षित परिवर्तनों के आधार पर संगणित नहीं किया जायेगा.

(3) एन माह हेतु एफ़पीपीसीए प्रभार आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अगले (एन+2) माह से ही माह हेतु संगणित और प्रभारित किया जायेगा तथा कम या अधिक वसूली को अगले उपभोग माह हेतु अग्रेनीत किया जायेगा. उदाहरण के लिए:

जून माह हेतु एफ़पीपीसीए प्रभार सितम्बर में बिल किये गए अगस्त के उपभोग हेतु प्रभारित किये जायेंगे तथा कोई कम या अधिक वसूली नवम्बर में बिल किये गए अक्टूबर के उपभोग के साथ प्रभारित किये जाने के लिए अग्रेनीत की जाएगी.

परन्तु ऐसी अग्रेनीत राशि को वर्ष की सम्बंधित तिमाही की अगली तिमाही के भीतर समायोजित किया जायेगा. यदि तीन माह की अवधि के पश्चात, अर्थात सम्बंधित तिमाही की अगली तिमाही के अंत में एफ़पीपीसीए के अधीन समायोजित किये जाने के लिए कोई राशि अब भी लंबित रहती है तो अनुज्ञापी नीचे उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट नियामक प्रक्रिया के माध्यम से राशि के समयोजन हेतु योग्य होगा.

(4) वितरण अनुज्ञापी, आयोग के कार्योत्तर अनुमोदन के लिए तिमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर आयोग द्वारा सत्यापन हेतु अपेक्षित विस्तृत संगणन और समर्थक दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण तिमाही के लिए सभी उपभोक्ताओं को प्रभारित या वापस लिए जाने वाले प्रभार और उपगत हुई एफ़पीपीसीए का विवरण प्रस्तुत करेगा.

(5) आयोग एफ़पीपीसीए की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो तीसरी तिमाही के अंत से पहले इसे आशोधनों के साथ अनुमोदित करेगा. वितरण अनुज्ञापी, द्वारा प्रभारित या लौटाए गए एफ़पीपीसीए और आयोग द्वारा अनुमोदित एफ़पीपीसीए में किसी भी परिवर्तन को आयोग द्वारा अवधारित रूप में अगले माहों की एफ़पीपीसीए संगणनाओं में समायोजित किया जायेगा.

(6) यदि वितरण अनुज्ञापी, लगातार (3) माह तक उपभोक्ताओं पर अनुचित एफ़पीपीसीए प्रभारित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोग उन अनुचित प्रभारों पर ब्याज के साथ उनका समायोजन करेगा जिस को पास थ्रू किये जाने की अनुमति नहीं होगी. इस प्रकार अधिरोपित ब्याज को पास थ्रू किये जाने की अनुमति नहीं होगी.

(7) वितरण अनुज्ञापी टैरिफ डिजाईन में एक घटक के रूप में एफ़पीपीसीए को सम्मिलित करने के लिए अपनी बिलिंग व आईटी प्रणाली को उच्चीकृत करेगा तथा इस पृथक रूप से दर्शाया जायेगा.

(8) एफ़पीपीसीए के परिकलन हेतु फार्मूला नीचे दिए गए रूप में होगा:

FPPCA (करोड़ रुपये) = C+ B,

जहाँ,

FPPCA = ईंधन और ऊर्जा क्रय लागत समायोजन

C = इन लागतों और ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण स्वयं के उत्पादन की लागत और कुल ऊर्जा लागतों (अंतर्राज्यीय और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रभारों सहित) में परिवर्तन.

B = पिछले माह / तिमाही हेतु अधिक वसूली / कम वसूली के लिए समायोजन कारक.

C (करोड़ रुपये) = A_{GEN} + A_{PP}

जहाँ:

A_{GEN}: स्वयं के उत्पादन की ईंधन लागत / उत्पादन लागत में परिवर्तन. इसकी संगणना आयोग के मानकों और निर्देशों के आधार पर किया जायेगा जिनमें ताप दर, अनुषंगी उपभोग, उत्पादन और ऊर्जा क्रय मिश्रण, इत्यादि सम्मिलित हैं.

A_{PP} : स्वयं के उत्पादन को छोड़ कर, सभी स्रोतों से अधिप्राप्त ऊर्जा (अंतर्राज्यीय और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रभारों सहित) के ऊर्जा प्रभार और ऊर्जा क्रय लागत में परिवर्तन. यह परिवर्तन प्रयोज्य मानकों के अधीन उस परिधि तक अनुज्ञात होगा जिस तक यह इन विनयमों में निर्धारित मानदंड और प्रचलित शुल्क आदेश को संतुष्ट करता हो. इसका संगणन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा:

राज्य परिधि में एन माह के दौरान क्रय की गई / अधिप्राप्त ऊर्जा (kWh) x

(ऊर्जा क्रयों की वास्तविक भारित औसत दर (रु. / kwh) - ऊर्जा क्रयों की अनुमोदित भारित औसत दर (रु. / kwh)

नोटः

1. अंतर्राज्यीय और राज्यान्तर्गत हानियों को शुल्क आदेश में अनुमोदित किया गया माना जायेगा.
2. कम निकासी अथवा अधिक निकासी के कारण अधिरोपित दंड या डीएसएम दंड, एफपीपीसीए संगणन के भाग के रूप में अनुज्ञात नहीं होगा.

(9) किसी भी श्रेणी के लिए एफपीपीसीए प्रभार उस श्रेणी हेतु शुल्क आदेश में अनुमोदित किये गए रूप में आधार औसत बिलिंग दर के 20% अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा नियत की गयी ऐसी किसी सीमा से अधिक नहीं होगाः
परन्तु एफपीपीसीए प्रभार में उपरोक्त सीमा से किसी अधिकता को वितरण अनुज्ञापी द्वारा अग्रेनीत किया जायेगा तथा भविष्य में उस अवधि में वसूल किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्देशित की जाये.

(10) एफपीपीसीए प्रभार का परिकलन निम्न लिखित फार्मूला द्वारा किया जायेगाः

औसत एफपीपीसीए प्रभार (रु. / kwh) = एफपीपीसीए / (शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित रूप में सम्बंधित माह हेतु राज्य के भीतर अनुमानित बिक्री) *10.

(11) श्रेणीवार एफपीपीसीए प्रभार (रु. / kwh) का परिकलन निम्न लिखित फार्मूला द्वारा किया जायेगाः

वर्ष हेतु शुल्क आदेश में अनुमोदित रूप में उपभोक्ता श्रेणी की औसत बिलिंग दर (ABR) (रु./kwh में) / वर्ष हेतु शुल्क आदेश में अनुमोदित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत बिलिंग दर (ABR) (रु./kwh में) x औसत एफपीपीसीए (रु./kwh में)

परंतु यह भी कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारक, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के सिवाए, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है, इसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू-अप के दौरान निर्धारित ईंधनके दौरान निर्धारित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा और किसी वित्तीय वर्ष के लिए, आयोग द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का ट्रू-अप, वितरण अनुज्ञापी के सुसंगत वित्त वर्ष हेतु संपरीक्षित लेखों के आधार पर अन्य लागतों और राजस्वों के सहीकरण के साथ किया जायेगा.

परन्तु वितरण अनुज्ञापी को सभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए उस माह, जिसके लिए एफपीपीसीए प्रभार लागू होने हैं, से कम से कम एक सप्ताह पूर्व उन्हें अधिसूचित करना आवश्यक होगा.

(12) वितरण अनुज्ञापी, अगले वर्ष के लिए शुल्क याचिका फाईल करते समय, परिकलित माह-वार एफपीपीसीए प्रभारों और उनके संग्रहित राजस्व का विवरण प्रदान करेगा.

(13) सभी एफपीपीसीए परिकलन तथा उपभोक्तावार एफपीपीसीए संग्रहण वितरण अनुज्ञापी की वेबसाईट पर भी दर्शाए जाने चाहिए."

आयोग की आज्ञा से,
नीरज सती,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/376–भाग 1–क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।